निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 886) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

t y l lk/ku foHkkx

अधिसूचना

11 tu 2015

सं० 22/नि0सि0(डि0)–14–09/2013/1322––मुख्य अभियंता, डिहरी के परिक्षेत्राधीन, सोन नहर प्रमंडल, आरा के निविदा सूचना संख्या–01/12–13 द्वारा 05.10.2012 के मुख्य अभियंता स्तर से निष्पादित निविदा (ग्रुप संख्या–1, 2, 3, 7 एवं 8) के विरूद्ध माँ ताराचण्डी डेवलपर्स प्रा0 लि0, कैमूर एवं गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0, आरा से प्राप्त परिवाद की समीक्षा हेतु विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक क्रमशः दिनांक 07.01.2013 एवं 30.01.2013 को हुई। विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदा निस्तार में बरती गई अनियमितता में सम्मिलित सभी दोषी पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में श्री वेदाकान्त पाठक (आई0 डी0–1696), तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (सदस्य सह सचिव) जल संसाधन विभाग, डिहरी विभागीय पत्रांक–739 दिनांक 28.06.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया। श्री पाठक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में ग्रुपवार निम्न तथ्य प्रस्तुत किया गया –

ग्रुप संख्या–1:– (i) निविदा निष्पादन के क्रम में कार्यपालक अभियंता के माध्यम से इस आशय का साक्ष्य निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया कि संवेदक जय बजरंगबली कन्सट्रक्शन ने निबंधन हेतु अपने सारे कागजात जय बजरंगबली कन्सट्रक्शन के नाम से करने के लिए समर्पित किया था परन्तु लिपिकीय भूल की वजह से रजिस्ट्रेशन में जय बजरंगबली अंकित हो गया। उक्त तथ्य को ध्यान में रखकर ही निविदादाता को तकनीकी बीड में योग्य माना गया।

(ii) मिथिलेश कुमार गुप्ता द्वारा डाली गई निविदा के डाउनलोड कागजात में सदृश कार्य की जाँच कार्यपालक अभियंता से निर्गत भुगतान पत्र एवं संबंधित एकरारनामा प्राक्कलन से किया गया जो निविदा में माँगी गई मात्रा से कहीं अधिक था।

(iii) गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 की निविदा N I T के क्रमांक 13 (क) एवं 14 के अनुसार परिमाण विपत्र की राशि बैंक ड्राफ्ट का Scan Copy करना अनिवार्य था। उक्त अभिलेख संलग्न नहीं रहने के कारण निविदा अमान्य किया गया।

ग्रुप संख्या–2:– (i) जय जगदम्बे कन्सट्रक्शन एवं मे0 धर्मवीर कन्सट्रक्शन का तकनीकी बीड वांछित अर्हता पूरी करने के कारण मान्य है।

(ii) मे0 भवानी कन्सट्रक्शन का तकनीकी बीड I T B की कंडिका 4.5A(C) के अनुसार वांछित मात्रा का अनुभव रखने के कारण मान्य है।

(iii) माँ ताराचण्डी डेवलपर्स प्रा0 लि0 का तकनीकी बीड I T B की कंडिका 4.5A(C) के अनुसार विगत पाँच वर्षों का टर्न ओवर संलग्न रहने के कारण मान्य किया गया है।

(iv) गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 की निविदा के मामले में विभागीय समीक्षा से सहमत होते हुए अमान्य है।

(v) मिथिलेश कुमार गुप्ता की निविदा के Download कागजात के परिप्रेक्ष्य में सदृश कार्य की जाँच संबंधित प्राक्कलन से किया गया जो निविदा में माँगी गयी मात्रा से अधिक है। इस प्रकार कंडिका 4.5A(C) के अनुसार अनुभव प्राप्त है तथा कंडिका 2.1 के अनुसार शपथ पत्र भी संलग्न है। इसी आधार पर इन्हें तकनीकी बीड में सफल घोषित किया गया।

ग्रुप संख्या–7:– (i) श्री कृष्ण प्रताप सिंह:– जमनियाँ पम्प नहर प्रमंडल, रामगढ़ इस परिक्षेत्राधीन होने के कारण इनके द्वारा कराए गए कार्य एवं बचे कार्य के आधार पर बीड कैपेसिटी की गणना इस प्रकार की गई थी:– Bid Value - AxNx3-B=168.31x9/12x3-80.46=298.23 लाख जो वांछित राशि से अधिक है। इस आधार पर तकनीकी बीड में सफल माना गया।

(ii) मे0 रीगेन कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0:– I T B की कंडिका 4.5A(C) के अनुसार एक वर्ष में निर्धारित वांछित मात्रा का अनुभव रहने एवं 2.1 के अनुसार शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र सलंग्न रहने के आधार पर तकनीकी बीड मान्य किया गया।

(iii) गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0:– सभी वांछित अहर्ता पूरी करने के कारण तकनीकी बीड मान्य है।

ग्रुप संख्या–8:– (i) गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 का सभी वांछित अहर्ता को पूरा करने के कारण तकनीकी बीड मान्य है।

(ii) कृष्ण प्रताप सिंह के जमनियाँ पम्प नहर प्रमंडल, रामगढ़ के परिक्षेत्राधीन होने के कारण इनके द्वारा कराए गए कार्य एवं बचे कार्य के आधार पर बीड कैपेसिटी की गणना इस प्रकार की गई है:– Bid Value - AxNx3-B=168.31x9/12x3-80.46=298.23 लाख जो वांछित राशि से अधिक है। इसी आधार पर तकनीकी बीड में सफल माना गया।

(iii) विपिन कुमार कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0:– Section-2 की कंडिका 2.1 के अनुसार शपथ पत्र तथा घोषणा पत्र संलग्न रहने के कारण तकनीकी बीड मान्य किया गया।

(iv) संजय कुमार:– I T B की कंडिका 4.5A(C) के अनुसार एक वर्ष में निर्धारित वांछित मात्रा का अनुभव रहने के कारण तकनीकी बीड मान्य किया गया।

श्री पाठक से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध अभिलेखों के आलोक में मामले की समीक्षा की गई। उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता है कि N I T संख्या– 2/12–13 के परिवाद से संबंधित निविदा दस्तावेज विभाग को उपलब्ध कराया गया था एवं विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा N I T – 2/12–13 के परिवादित ग्रुपों की समीक्षा की गई है। अतएव प्रस्तुत मामले में N I T संख्या– 2/12–13 के परिवादित ग्रुप 1, 2, 3, 7, एवं 8 के स्पष्टीकरण को यथा संशोधित मानकर ग्रुपवार समीक्षा की गई जिसके अनुसार निम्नवत स्थिति बनती है:–

ग्रुप संख्या–1:– तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने निबंधन जय बजरंगबली के नाम होने तथा निविदा कागजात जय बजरंगबली कन्सट्रक्शन के नाम होने के कारण तकनीकी बीड को अमान्य माना है। श्री पाठक द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया है कि निविदा निष्पादन के क्रम में कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, आरा के कार्यालय के लिपिकीय भूल के कारण निबंधन में जय बजरंगबली अंकित होने तथा जय बजरंगबली कन्सट्रक्शन के नाम निबंधन हेतु कागजात समर्पित करने का साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी बीड को मान्य किया गया। उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि कार्यपालक अभियंता, आरा द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य संदेहास्पद है क्योंकि निबंधन प्रमाण पत्र की डाउनलोड प्रति जिसमें जय बजरंगबली अंकित है एवं साक्ष्य के रूप में निविदा समिति को उपस्थापित निबंधन पत्र की छायाप्रति (निविदा संचिका) जिसमें जय बजरंगबली कन्सट्रक्शन अंकित है, दोनों ही पत्रांक 384 दिनांक 23.01.2012 से निर्गत है। साथ ही निविदा का निष्पादन निविदादाता द्वारा स्कैन कर अपलोड किए गए कागजात के आधार पर किया जाना नियमानुकूल होता है न कि बाद में दिए गए कागजात को सम्मिलित कर। इस प्रकार श्री पाठक निविदा का नियमानुसार निष्पादन नहीं करने के लिए दोषी हैं।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने द्वितीय निविदादाता मिथिलेश कुमार गुप्ता का तकनीकी बीड I T B की कंडिका 4.5A(C) के अनुसार किसी एक वर्ष में निर्धारित कार्यमदों की वांछित मात्रा में कमी एवं सेक्शन 2 की कंडिका 2.1 के अनुसार शपथ पत्र संलग्न नहीं किए जाने के कारण अमान्य माना है। कार्यपालक अभियंता के स्तर से निर्गत भुगतान पत्र, एकरारनामा एवं प्राक्कलन की जाँच से कंडिका 4.5A(C) के अनुसार वांछित अहर्ता पूरा करने तथा कंडिका 2.1 के अनुसार शपथ पत्र संलग्न किए जाने के परिप्रेक्ष्य में तकनीकी बीड मान्य किया गया है। साक्ष्य के रूप में एकरारनामा प्राक्कलन की छायाप्रति, शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र की छायाप्रति संलग्न किया गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा डाउनलोड किए गए उपलब्ध अभिलेख के आधार पर कंडिका 4.5A(C) एवं 2.1 के अनुसार अहर्ता में कमी पाई गई है जिसकी पुष्टि उपलब्ध अभिलेख से होती है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा प्राक्कलन एवं एकरारनामा से

मिलान किए जाने का उल्लेख है जो नियम संगत नहीं है। साथ ही साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए गए प्राक्कलन एवं एकरारनामा निविदादाता द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। इसे निविदा कागजात का अंश नही माना जा सकता है। वर्णित स्थिति में मुख्य अभियंता की निविदा समिति द्वारा मिथिलेश कुमार गुप्ता का तकनीकी बीड मान्य किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

तृतीय निविदादाता गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 का तकनीकी बीड, तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति एवं मुख्य अभियंता की निविदा समिति द्वारा अमान्य किया गया है। अतएव इसमें कोई अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है।

इस प्रकार सोन नहर प्रमंडल, आरा अर्न्तगत निविदा सूचना संख्या– 2/12–13 के ग्रुप संख्या–1 के निविदा निष्पादन में जय बजरंगबली का तकनीकी बीड में निबंधन प्रमाण पत्र में कमी तथा मिथिलेश कुमार गुप्ता का तकनीकी बीड I T B की कंडिका 4.5A(C) एवं 2.1 के अनुसार अहर्ता पूरी नहीं किए जाने के बावजूद तकनीकी बीड मान्य किए जाने के मामले में श्री पाठक दोषी हैं।

ग्रुप संख्या–2:– तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने मे0 भवानी कन्सट्रक्शन एवं मिथिलेश कुमार गुप्ता को I T B की कंडिका 4.5A(C), माँ ताराचण्डी डेवलपर्स प्रा0 लि0 को कंडिका 4.5A(A) तथा गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 को N I T के क्रमांक 13 (क) एवं 14 के अनुसार अहर्ता पूरी नहीं करने के कारण तकनीकी बीड को अमान्य और जय जगदम्बे कन्सट्रक्शन तथा मे0 धर्मवीर कन्सट्रक्शन को अहर्ता पूरी करने के कारण तकनीकी बीड मान्य किया गया है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा अंकित किया गया है कि मे0 भवानी कन्सट्रक्शन, माँ ताराचण्डी डेवलपर्स प्रा0 लि0 तथा मिथिलेश कुमार गुप्ता को वांछित अहर्ता पूरी किए जाने के कारण तकनीकी बीड मान्य किया गया है। साक्ष्य के रूप में कोई कागजात इनके द्वारा संलग्न नहीं किया गया है। निविदादाता मिथिलेश कुमार गुप्ता द्वारा ग्रुप संख्या–1 में निविदा दिया गया है। आरोपित पदाधिकारी श्री वेदाकान्त पाठक द्वारा इनके मामले में ग्रुप संख्या–1 की तरह ही तथ्य अंकित किया गया है जिसकी समीक्षा ग्रुप संख्या–1 में की गई है एवं इसके अनुसार श्री पाठक दोषी हैं।

इस प्रकार सोन नहर प्रमंडल, आरा अन्तर्गत निविदा सूचना संख्या–2/12–13 के ग्रुप संख्या–2 के निविदा निष्पादन में मे0 भवानी कन्सट्रक्शन का तकनीकी बीड I T B की कंडिका 4.5A(C), माँ ताराचण्डी डेवलपर्स का तकनीकी बीड कंडिका 4.5A(A) मिथिलेश कुमार गुप्ता का तकनीकी बीड कंडिका 4.5A(C) एवं 2.1 के अनुसार अहर्ता पूरी नहीं किए जाने के बावजूद तकनीकी बीड मान्य किए जाने के मामले में श्री वेदाकान्त पाठक दोषी हैं।

ग्रुप संख्या–3:– इस ग्रुप के अन्तर्गत कुल तीन निविदादाताओं ने भाग लिया। आरोपित पदाधिकारी श्री पाठक द्वारा अपने स्पष्टीकरण में मुख्य अभियंता की निविदा समिति के जय बजरंगबली कन्सट्रक्शन एवं मिथिलेश कुमार गुप्ता को सफल तथा गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 को असफल पाए जाने के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि Internet पर गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 का B O Q का बैंक ड्राफ्ट का Scan Copy पाया जाना एक तकनीकी त्रुटि है जिसके लिए वे जिम्मेवार नहीं हैं तथा लिपिकीय भूल की वजह से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। अतः जय बजरंगबली की निविदा मान्य है। इनके द्वारा साक्ष्य के रूप में पत्रांक 107 दिनांक 07.01.2013 की प्रति संलग्न है।

विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने अभिलेख के आधार पर गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के तकनीकी बीड को मान्य एवं अन्य दो निविदादाता को वांछित अहर्ता पूरी नहीं किए जाने के परिप्रेक्ष्य में अमान्य पाया है।

गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 से संबंधित निविदा कागजात से B O Q की राशि का बैंक ड्राफ्ट की Scan Copy होने का बोध होता है। आरोपित पदाधिकारी का निर्णय इनके मामले में सही नहीं है। जय बजरंगबली कन्सट्रक्शन के मामले में उपलब्ध कराए गए निविदा कागजात के आलोक में निर्णय किया जाना चाहिए जिसमें निबंधन पत्र एवं निविदा कागजात अलग–अलग नाम से होने का बोध होता है। अतएव इनके मामले में आरोपित पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं है। मिथिलेश कुमार गुप्ता का निविदा कागजात कंडिका 4.5 (C) के अनुसार अहर्ता पूरी नहीं करने का बोध होता है। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी द्वारा सफल को असफल एवं असफल को सफल किया गया है। जिसके लिए श्री पाठक दोषी हैं।

ग्रुप संख्या–7:– इस ग्रुप की निविदा में गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0, कृष्ण प्रताप सिंह एवं मे0 रीगेन कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 ने निविदा दी। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति ने कृष्ण प्रताप सिंह को कंडिका 4.8 के अनुसार Misleading करने तथा मे0 रीगेन कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 को कंडिका 4.5A(C) तथा 2.1 के अनुसार अहर्ता पूरी नहीं करने के कारण अमान्य और गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 को सभी अहर्ता पूरी किए जाने के कारण मान्य किया है। उस संबंध में आरोपित पदाधिकारी श्री वेदाकान्त पाठक द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया है कि कृष्ण प्रताप सिंह के बीड कैपेसिटी की गणना जमनियाँ पम्प नहर प्रमंडल, रामगढ़ के अन्तर्गत बचे हुए कार्य के आधार पर की गई जो वांछित राशि से अधिक पाए जाने पर मान्य किया गया। कृष्ण प्रताप सिंह के निविदा कागजात से विदित होता है कि निविदादाता ने Existing Commitments में No Pending Work अंकित किया है जबकि आरोपित पदाधिकारी के द्वारा अंकित तथ्य से स्पष्ट है कि उनके परिक्षेत्रान्तर्गत जमनियाँ पम्प नहर प्रमंडल, रामगढ़ अन्तर्गत 80.46 लाख का कार्य शेष है। उक्त के आलोक में कंडिका 4.8 के अनुसार अहर्ता में कमी का बोध होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में आरोपित पदाधिकारी श्री पाठक द्वारा कृष्ण प्रताप सिंह के तकनीकी बीड को मान्य किया जाना सही नहीं है।

मे0 रीगेन कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के उपलब्ध निविदा कागजात से वांछित मात्रा में कमी का बोध होता है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा भी कंडिका 4.5A(C) के अनुसार अहर्ता में कमी का उल्लेख है। अतः आरोपित

पदाधिकारी श्री वेदाकान्त पाठक द्वारा मे0 रीगेन कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के तकनीकी बीड को मान्य किया जाना नियमानुकूल नहीं है जिसके लिए ये दोषी हैं।

ग्रुप संख्या–8:– इस ग्रुप की निविदा में गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0, कृष्ण प्रताप सिंह, विपिन कुमार कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 एंव संजय कुमार ने निविदा दी। गंगाधर नारायणी कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के तकनीकी बीड को मान्य किए जाने में किसी प्रकार की अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है। कृष्ण प्रताप सिंह के मामले में ग्रुप संख्या–7 के सदृश ही तथ्य अंकित किया गया है जिसमें उन्हें दोषी पाया गया है। अतएव इस मामले में भी उनका दोष प्रमाणित होता है। विपिन कुमार कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के मामले में श्री पाठक द्वारा सेक्शन–2 की कंडिका 2.1 के अनुसार तकनीकी बीड मान्य किए जाने का उल्लेख है परन्तु कोई साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है जबकि तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उक्त अहर्ता में कमी के कारण अमान्य पाया गया है। विपिन कुमार कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 के निविदा कागजात से विदित होता है कि यह कंडिका 2.1 के अनुसार नहीं है। इस प्रकार आरोपित पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय सही नहीं है।

संजय कुमार के मामले में आरोपित पदाधिकारी द्वारा 4.5A(C) के अनुसार अहर्ता पाए जाने पर मान्य किए जाने का उल्लेख किया गया है परन्तु साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है जबकि तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा अहर्ता में कमी के कारण अमान्य पाया गया है। निविदा दस्तावेज से विदित होता है कि कराए गए कार्य की मात्रा के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं होता है कि किस वर्ष में कार्य कराया गया है क्योंकि एकरारनामा वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 का प्रमाण पत्र वर्ष 2012–13 में निर्गत है एवं कार्यावधि अंकित नहीं है। साथ ही एकरारनामा वर्ष 2012–13 प्रभावी नहीं है जबकि 4.5A(C) के अनुसार किसी एक वर्ष में कराए गए कार्य की मात्रा वांछित है। उक्त से 4.5A(C) के अनुसार कमी का बोध होता है। अतः आरोपित पदाधिकारी श्री पाठक द्वारा लिया गया निर्णय नियमानुकूल नहीं है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त श्री वेदाकान्त पाठक] तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (सदस्य सह सचिव), जल संसाधन विभाग, डिहरी के विरूद्ध सोन नहर प्रमंडल, आरा के निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 02/2012–13 द्वारा दिनांक 05.10.12 को प्राप्त निविदाओं के निष्पादन में अनियमितता बरते जाने का आरोप प्रमाणित होता है। इसके साथ ही यह भी पाया गया कि श्री वेदाकान्त पाठक (आई0 डी0–1696) तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (सदस्य सह सचिव) दिनांक 31.12.2012 को सेवानिवृत हो चुके है। मामला वित्तीय अनियमितता का नहीं है क्योंकि विभागीय निविदा समिति द्वारा निविदा को निरस्त कर दिया गया। अतः मामला लधु दण्ड का बनता है। चूँकि श्री पाठक सेवानिवृत हो चुके है। अतएव इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उनके विरूद्व मामले को तकनीकी आधार पर संचिकास्त करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री वेदाकान्त पाठक (आई0 डी0–1696) तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता (सदस्य सह सचिव) सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व सोन नहर प्रमण्डल, आरा के निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2012–13 द्वारा दिनांक 05.10.2012 को प्राप्त निविदाओं के निष्पादन में बरती गई अनियमियता के प्रमाणित आरोप को तकनीकी आधार पर संचिकास्त करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 886-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in